संख्या-240/2022/923/41-2022-20(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 2022**

विषय:-जनपद वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मभूमि सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु अवशेष धनराशि वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8617/6-1-1/(1019)/2019-20, दिनांक 30 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में गुरू रविदास की जन्मभूमि सीरगोवर्धन के पर्यटन विकास की प्रायोजना** हेतु शासनादेश संख्या-41/2019/605/41-2018-20 (बजट)2021, दिनांक 18 फरवरी, 2019 द्वारा रू0 1309.58 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-184/2019/1828/41-2098-20 (बजट)2021, दिनांक 03 जुलाई, 2019 द्वारा गुरू रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धन के पुनर्विकास एवं विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य एवं परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का क्रय/अधिग्रहण किये जाने हेतु कुी रू0 4429.58 लाख (रूपये 3320.00 लाख भूमि क्रय हेतु + रू0 1109.58 लाख पूर्व से स्वीकृत परियोजना के अवशेष निर्माण कार्य हेतु) पुनर्विनियोग के माध्यम से महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे गये। प्रायोजना लागत के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-212/2019/1837/41-2019-20 (बजट)2019, दिनांक 16 अगस्त,**2019** द्वारा रू0 1514.02 लाख + जी0एस0टी0 (नियमानुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। शासनादेश संख्या-190/2021/936/41-2021-20 (बजट)2019, दिनांक 5 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 196.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-557/2021/4071/41-2021-20 (बजट)2019, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 823.27 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रायोजना के अवशेष कार्यों को कराये जाने हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 37.11 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-718/2021/4506/41-2021-20 (बजट)2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 द्वारा निर्गत की गयी है।

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पांचवी किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि प्रायोजना की अगली किश्त की मांग करते समय पूर्व में शासनादेश दिनांक 13.12.2021 द्वारा वांछित सूचना सहित टेण्डर लाख एवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पूर्व में शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020, शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 तथा शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रस्तर-3 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- प्रस्तर-3 में अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, संस्कृति/लोक निर्माण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मण्डलायुक्त वाराणसी/जिलाधिकारी, वाराणसी ।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 भदोही इकाई, भदोही, उ0प्र0।
9- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी ।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।